न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—103 / 20 (2020 / 00164) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्रकाशचन्द्र आत्मज बन्नालाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित — प्रार्थी अधिवक्ता

1. जाकिर हुसैन — दिनांक 01.10.2020

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 308 में अकिंत आराजी संख्या 345 रकबा 0.02 है0, भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता गांव से आने वाली बिलानाम सरकारी सड़क से होते हुए विपक्षी संख्या 1 की बिलानाम आराजी संख्या 347 में होकर जाता है, जिससे प्रार्थी अपने खेत में इसी रास्ते से आवागमन करते हुए फसल वर्षो से काश्त कर रहा है। इसी रास्ते से संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि ले जाता है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर खुला हुआ परन्तु कुछ लोग आये दिन अतिक्रमण कर रास्ते को बन्द कर देते है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कलालखेड़ी में उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 347 में 30 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज कराने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान फरमाया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से लिखित में अलग से जवाब प्रस्तुत नही कर मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम कलालखेड़ी के खातेदारी आराजी नम्बर 345 रकबा 0.02 है0 प्रकाशचन्द्र पिता बन्नालाल कलाल निवासी कलालखेड़ी ने बिलानाम आराजी नम्बर 347 रकबा 0.08 है0 मे से 30 फीट चौड़ा रास्ता हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में प्रार्थी की आराजी नम्बर में आने जाने हेतु ग्राम कलालखेड़ी से चिलेश्वर जाने वाले आम रास्ता 313 से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 347 में होकर आ जा रहा है। मौके पर रास्ता चालु है एवं आवागमन में समस्या नही है। प्रार्थी के आराजी नम्बर 345 में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। आराजी नम्बर 347 रकबा 0.08 है0 किस्म भू.रे.क. में से रकबा 0.01 है0 का उपयोग रास्ते हेतु हो रहा है जिसकी डीएलसी दर 53640 रू[illegible] बीघा होने से 2483 रूपये की दुगुनी राशि

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested

4966 रूपये मुआवजा राशि बनती है। वर्तमान प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से एवं आम रास्ता चालु को बल्यु स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह आराजी नम्बर 347 होकर बिलानाम का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जहां प्रार्थी का मौका रिपोर्ट के अनुसार आवागमन हो रहा है ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 347 रकबा 0.08 है0 मे से 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर भूमि डीएलसी दर रूपये 53640 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 100 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 2483 रूपये की दुगुनी राशि 4966 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) ... सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—103 / 20 (2020 / 00164) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्रकाशचन्द्र आत्मज बन्नालाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा — **प्रार्थी**

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — **विपक्षी**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 347 रकबा 0.08 है0 मे से 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर भूमि डीएलसी दर रूपये 53640 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 100 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 2483 रूपये की दुगुनी राशि 4966 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

1-10-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested